न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

बइजलासः–प्रियंका तलानिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सख्याः–10/2022

1. तरसेमसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति कम्बोजसिख उम्र 44 वर्ष निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. गुरमीतकौर पत्नी बलदेवसिंह जाति कम्बोजसिख उम्र 66 वर्ष निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. जसवीरकौर पुत्री बलदेवसिंह पत्नी प्रेमसिंह जाति कम्बोजसिख उम्र 45 वर्ष निवासी चक 6 जीबी ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
4. परविन्द्र कौर पुत्री बलदेवसिंह पत्नी जसवीरसिंह जाति कम्बोजसिख उम्र 34 वर्ष निवासी गोबिन्दपुरा ओटू तहसील व जिला सिरसा(हरियाणा)
5. राजवीरकौर पुत्री बलदेवसिंह पत्नी हरनेकसिंह जाति कम्बोजसिख उम्र 38 वर्ष निवासी गोबिन्दपुरा ओटू तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

जरिए स्वयं एवं मुख्त्यारआम तरसेमसिंह उम्र 44 वर्ष पुत्र बलदेवसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़

— प्रार्थीगण

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व /भू.अ), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अप्रार्थी

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट</u>

::निर्णय:: **दिनांक–28.02.2023**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 17 ए 'ए' तहसील अनूपगढ़ का खाता सं.–5 पत्थर सं.–307/452 मुरब्बा नं.–16 का किला नं.–1ता20 प्रत्येक 0.253, 21/2 का 0.227, 22/2 का 0.227, 23/2 का 0.228, 24/2 का 0.228, 25/2 का 0.228 कमाण्ड कुल 6.198 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अन्य सह काश्तकारान के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/15 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है। जमाबंदी की प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रार्थीगण सं.–2ता5 की ओर से प्रार्थी सं.–1 मुख्त्यारआम नियुक्त एवं अधिकृत है मुख्त्यारआम प्रार्थी सं.–1 को वादपत्र में दर्ज समस्त तथ्यों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से जानकारी है। इसलिए वाद पत्र प्रार्थी सं.–1 की ओर से स्वयं एवं जरिए मुख्त्यारआम प्रस्तुत किया जा रहा है। मुख्त्यारनामा की प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण यहां यह स्पष्ट करते है कि वाद पत्र में दर्ज उक्त संयुक्त खाता की कृषि भूमि प्रार्थीगण के पति/पिता बलदेवसिंह व उसके भाई स्वर्णसिंह, जरनैलसिंह पिसरान उजागरसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी डबली राठान द्वारा प्रतिफल की ऐवज में जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक–27.12.1993 खरीद की गई थी तथा पंजीकृत बैयनामा के आधार पर प्रार्थीगण के पति/पिता बलदेवसिंह व उसके भाई स्वर्णसिंह, जरनेलसिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। बैयनामा दिनांक–27.12.1993 की प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.27 16:36:51 IST
Reason: SelfAttested

के पति/पिता बलदेवसिंह पुत्र उजागरसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिनके देहान्त उपरांत प्रार्थीगण प्रथम श्रेणी के विधिक एवं जायज वारिसान है तथा प्रार्थीगण के नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज किये जाने के उपरांत अब यह तथ्य प्रकट हुये कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति जटसिख दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण की सही जाति कम्बोजसिख है। प्रार्थीगण यहां यह स्पष्ट करते है कि पंजीकृत बैयनामा दिनांक–27.12.1993 के आधार पर प्रार्थीगण के पति/पिता बलदेवसिंह व उसके भई स्वर्णसिंह जरनैलसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करते वक्त सहबन से कर्मचारियों की भूलवश प्रार्थीगण के पति/पिता व अन्य खरीददारान की जाति कम्बोजसिख के बजाए जटसिख दर्ज हो गई थी चूंकि प्रार्थीगण के पति/पिता व उसके भाई ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिन्हें पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में हुई उक्त त्रुटि का ज्ञान नही हो सका था जो अब प्रार्थीगण के नाम से विरास्तन इंतकाल दर्ज करते वक्त प्रार्थीगण की जानकारी मे उक्त त्रुटि आई हैं इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की गलती से एवं सहबन से रिकॉर्ड संधारित करते वक्त हुई है। जो कि एक सदभाविक व मानवीय भूलवश हुई त्रुटी है। जिसका ज्ञान प्रार्थीगण को अरसा 10 दिन पूर्व उस वक्त हुआ जब प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर ऋण पत्रावली तैयार करवाने के संबंध में पटवारी हल्का से मिले तो उनके द्वारा प्रार्थीगण को यह बताया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में आपकी जाति कम्बोजसिख दर्ज नही है। बल्कि जटसिख दर्ज है जिसे दुरूस्त करवाओं। जिस पर प्रार्थी ने तहसीलदार, राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर उक्त त्रुटि की दुरूस्ती करने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आवें। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। रिकॉर्ड में जाति की त्रुटि होने के कारण प्रार्थीगण को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और भविष्य मे भी सामना करना पड़ेगा। उक्त त्रुटि राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय सहबन से कर्मचारियों की गलती से हई है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में जाति जटसिख की बजाय कम्बोजसिख दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

प्रकरण दर्ज रजि कर तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब चाहा गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चक–17 ए ए सम्वत् 2074–2077 खाता सं.–5 का पत्थर नं.–307/452 का किला नं.–1ता20/5.060, 21/2 का 0.227, 22/2 का 0.227, 23/2 का 0.228, 24/2 का 0.228, 25/2 का 0.228 इस प्रकार कुल 6.198 हैक्टर कमाण्ड रकबा कुलविन्द्र कौर पत्नी स्वर्णसिंह हिस्सा 551/2066 जाति जटसिख साकिन डबलराठान खातेदार रहिन दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड अनूपगढ़ गुरप्रीत सिंह पुत्र स्वर्णसिंह हिस्सा 413/6198 जाति जटसिख साकिन डबलरा[illegible] व सिंह हिस्सा1/5 जाति जटसिख साकिन डबलीराठान खातेदार, [illegible] उजागरसिंह हिस्सा1/3 जाति जटसिख साकिन डबलीराठान खातेदार जसवीर [illegible] बलदेवसिंह हिस्सा1/15 जाति जटसिख साकिन डबल[illegible] पुत्र बलदेवसिंह हिस्सा1/15 जाति जटसिख साकिन डबलीराठान खातेदार परविन्द्र [illegible] पुत्री बलदेव सिंह हिस्सा1/15 जाति जटसिख साकिन डबलराठान खातेदार राजवीर कौर पुत्री बलदेवसिंह हिस्सा1/15 जाति जटसिख साकिन डबलीराठान खातेदार के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त रकबा पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है। उक्त रकबा प्रार्थीगण के पिता के नाम जरिये इंतकाल संख्या–38 स्वीकृत दिनांक–30.12.94 किस्म बैयनामा के दर्ज हुआ था।

Priyanka

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.27 16:36:51 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें बलदेवसिंह–स्वर्णसिंह–जरनैलसिंह पिसरान उजागरसिंह की जाति कम्बोजसिख दर्ज है। अतः जाति जटसिख के स्थान पर कम्बोजसिख की जाने की अनुशंषा की गई है।

तदुपरांत बहस सुनी जाकर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायालय की राय में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अपने पक्ष में साबित/सिद्ध करने में सफल रहे कि प्रार्थीगण की जाति जटसिख न होकर कम्बोजसिख है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थीगण की जाति राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर चक 17 ए 'ए' तहसील अनूपगढ़ का खाता सं.–5 पत्थर सं.–307/452 मुरब्बा नं.–16 का किला नं.–1ता20 प्रत्येक 0.253, 21/2 का 0.227, 22/2 का 0.227, 23/2 का 0.228, 24/2 का 0.228, 25/2 का 0.228 कमाण्ड कुल 6.198 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति जटसिख के स्थान पर कम्बोजसिख एतद्द्वारा दुरूस्त की जाती है। अप्रार्थी तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.), अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त दुरूस्ती का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक–28.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.27 16:36:51 IST
Reason: SelfAttested